शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध/द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–।

संख्याः अठ्ठारह–आशु0–(वरि0)–2015 दिनांक : नवम्बर ,2015

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय : पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रख्यापन।

कृपया अवगत कराना है कि सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1447/छः–पु–1–14–650(59)/02टीसी दिनांक 10–10–2014 एवं उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जानी है। अतः पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की अन्तिम निर्विवाद वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की अनन्तिम **(Tentative)** संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है, जो **http://uppolice.gov.in में 'Karmik' folder में Internet पर प्रदर्शित की जा रही है। कृपया अपने सिस्टम/कम्प्यूटर पर Download करके''** अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मियों को सूचित कराये तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

2– अपने कार्यालय में नियुक्त उक्त कर्मियों के बारे में सम्मिलित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित सूचनाओं का परीक्षण अपने मुख्यालय/कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से करा लें तथा यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसके बारे में साक्ष्य सहित पुलिस मुख्यालय को अवगत कराये, जिससे त्रुटियों को सुधार कर अन्तिम रूप देते हुए निर्विवाद अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की जा सके।

3– यह भी अवगत कराना है कि सूची को निम्न नीति के अनुसार तैयार किया गया हैः–

(1) श्शासनादेश संख्याः7252/आठ–ए–94/66, दिनांकः06.09.1966 में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय संवर्ग में डीआई(एम) का पद सृजन किया गया था। पूर्व मे डीआई(एम) के पद पर पदोन्नति, एसआई(एम)/आशुलिपिक के पद पर नियुक्त कर्मियों में से वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़कर की जाती थी। जिला पुलिस संवर्ग में डीआई(एम)/गोपनीय सहायक का कोई पद नही था। यद्यपि कि शासनादेश संख्याः8434/6–पु–1–61/90 दिनांकः 23.01.92 द्वारा डीआई(एम) संवर्ग

को मृत संवर्ग घोषित किया जा चुका है, किन्तु वर्तमान में 02 डीआई(एम)/गोपनीय सहायक अभी भी सेवा में कार्यरत है। चूँकि डीआई(एम) का पद पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद से उच्च पद है, अतः इनको पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के नीचे अंकित किया जाना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध होगा।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991 के भाग–2 के नियम–5 में यह उल्लेख किया गया है कि '' जहॉ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियॉ केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहॉ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथा स्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी है। चूँकि पॉच विभिन्न संवर्गों में नियुक्त पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) अलग–अलग चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये हैं, अतः इनकी सम्मिलित पारस्परिक ज्येष्ठता सूची तैयार करने हेतु उपरोक्त ज्येष्ठता नियमावली–1991 के नियम–5 के उपबन्ध को लागू नहीं किया गया है।

(3)पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर उनकी जन्म तिथि के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) की ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है।

4– अतः कृपया आप पुलिस की उक्त वेबसाइड पर अपलोड सूची में अंकित अपने कार्यालय में नियुक्त सम्बन्धित कर्मियों को तत्काल सूचित करते हुए निर्देशित करें कि उक्त अपलोड की गयी सूची में अंकित विवरण के सम्बन्ध में किसी कर्मी को कोई आपत्ति हो तो वे उसके सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध अभिलेखों आदि की छायाप्रतियों सहित दिनांक **05.12.2015** तक आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। कर्मी के प्राप्त प्रत्यावेदन का उनके सेवाभिलेखों के आलोक में अपने स्तर पर परीक्षण भी कर लिया जाये तथा अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित **दिनांक 07–12–2015** तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उस पर नियमानुसार विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लेकर वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके।

5– यह भी स्पष्ट करना है कि सामान्य स्थिति में **दिनांक 07–12–2015** के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों/टिप्पणी पर विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि तैयार की गयी अनन्तिम सम्मिलित वरिष्ठता सूची पर आपत्ति नहीं है एवं अनन्तिम सम्मिलित वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा।

6– यदि आपके कार्यालय में नियुक्त कोई पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) अन्यत्र स्थानान्तरित/ सम्बद्ध हो गया हो या प्रतिनियुक्ति पर हो तो उसे भी उक्त

वरिष्ठता सूची के बारे में अवगत कराते हुये अपेक्षित कार्यवाही गहन जनपद द्वारा ही सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें।

7— प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः अनुरोध है कि अपेक्षित कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। प्रकरण में सर्वोच्च वरीयता अपेक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार(अनन्तिम संयुक्त वरिष्ठता सूची)

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2— अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3— अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
4— अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5— अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7— पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि : पुलिस उप—महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय) की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची को पुलिस की बेबसाइड पर अपलोड कराने की कृपा करें।